



उद्घरण खतीनी



उद्घरण क्रमांक : 143546202601708

ग्राम क्रमांक : 143546 ग्राम का नाम (पराना) : सेवई(विजनीर) तहसील : सरोजनी नगर जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1 (1) खता संख्या : 00233

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अंतिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
433	1) शीतल इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा.लि. / द्वारा खामोखर विमल कुमार / कार्या. सी- 2195 इन्दिरा नगर लखनऊ		1421फ.	433(1435460433000012)	0.2660	1) 1/1	1) 0.2660	95.84
कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.2660 (हेक्टेयर)		कुल भू-राजस्व - 95.84 रुपये		कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.2660) (हेक्टेयर)				
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया		दर्ज किया गया				
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संक्षेक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अंतिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संक्षेक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अंतिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)		
		433(1435460433000012)			433(1435460433000012)			

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की फाय्फ्टीकृत संख्या :	
(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति	
(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/छातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :	
(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/छातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :	
(19) अभ्युक्ति :	
पूर्व आदेशों का विवरण 1) आदेश न्यायालय अस्ति. कलेक्टर (प्र.शे.)/उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर, लखनऊ वाद सं.03/2015-16 धारा 143 उ.प्र. जमी.वि.एवं भू.व्य.अधि.ग्राम सेंवर्ड की खतीन अधि.ग्राम सेंवर्ड की खतीनी वर्ष 1419-1424 के खाता सं. 51 की गाटा सं.406भि/0.1520,411भि/0.1070,427सं/0.084हे. व खसरा सं. 416/0.1950हे. 2) कुल रकबा 0.5380हे. मा.गु. 60ख को अकृषिक घोषित किया जाता है अन्य नियमों व मास्टर प्लान पर प्रभाव नहीं होगा इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के अनुसार अनुमन्य हो यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन कुक्कुट पालन बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु 3) उपयोग किया जाता है तो धारा 144 ज.वि.एवं भू.व्य. अधि. के तहत तहसीलदार को आख्या प्रस्तुत करेंगे पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कमी भी अतिरिक्त एवं फर्जी पाये जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जाए ह.र.का. 30.1.16 4) आदेश न्यायालय उपजिलाधिकारी/सहा.कले. (प्र.शे.) सर लखनऊ वाद सं. 513/14-15 शीतला इन्फा डेवलपर्स प्रा.लि. बनाम उ.प्र. सरकार धारा 143 जेड.ए.एल.आर. एक्ट ता.के. 19.2.15 ग्राम सेंवर्ड पराना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ की भूमि खसरा सं. 440/0.2253 है., 413/0.330 है., 433/0.266 है., 405/ 5) 0.076 हे. कुल 4 किता कुल रकबा 0.925 हे. पूर्ण व 404/0.436 हे., 400/0.021 है., 407/0.167 है., 439/0.185 हे. कुल 4 किता कुल रकबा 0.809 हे. में से रकबा 0.4045 है., 445/0.299 हे. पूर्ण व 419/10.038 है., 437/0.190 हे. कुल 2 किता कुल रकबा 0.228 हे. रकबा 1.8566 हे. भूमि को 6) कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के अनुसार ही अनुमन्य होगा ह.र.का. 30.3.15 7) न्यायालय अस्ति 0कलेक्टर (प्र0शे0)/ उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ वाद संख्या 05/2015-16 धारा 143 उ.प्र.ज.वि.एवं भू.व्य.अधि. उमेश कुमार बनाम उ.प्र. सरकार आदेश दिनांक 29.01.16 छातेदार उमेश कुमार पुत्र रस्त. श्रीपाल के नाम दर्ज ग्राम सेंवर्ड पराना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ की खसरा संख्या 396सं./1.0120, खसरा संख्या 414/0.0250हे. मा.गु.60ख को अकृषिक घोषित किया जाता है यह घोषणा मात्र मालगुजारी की दृष्टि से की जा रही है अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के अनुसार अनुमन्य होगा यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु उपयोग किया जाता है तो धारा 144 ज.वि.एवं भू.व्य.अधि. के तहत तहसीलदार आख्या प्रस्तुत करेंगे पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कमी भी अतिरिक्त एवं फर्जी पाये जाने पर आदेश ्वरतः निरस्त माना जायेगा ह.र.का./30.1.16 न्यायालय अस्ति.कलेक्टर (प्र.शे.)/ उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ वाद धारा 166/167 ज.वि. एवं भू.व्य. अधिनियम के तहत न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उक्त वाद में दि. 29.01.16 को पारित दिनांक 02.03.16 ग्राम सेंवर्ड पराना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ भूमि से सम्बन्धित वाद धारा 166/167 ज.वि. एवं भू.व्य. अधिनियम के तहत न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उक्त वाद में दि. 29.01.16 को पारित आदेश निरस्त किया जाता है ह.र.का. 14.03.16 न्यायालय अस्ति.कलेक्टर (प्र.शे.)/ उपजिलाधिकारी सरोजनी नगर लखनऊ वाद संख्या 05/2015-16 धारा 143 उ.प्र.ज.वि. एवं भू.व्य.अधि. उमेश कुमार बनाम उ.प्र. सरकार आदेश दिनांक 01.02.16 ग्राम सेंवर्ड पराना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ की गाटा सं.396सं./1.0120हे. व गाटा सं.414/0.0255हे. को अकृषिक घोषित किये जाने सम्बन्धी आदेश दि.29.01.16 वापस लिया जाता है ह.र.का. 04.04.16	
Data Digitally Signed by:INDAL PAL(REVENUE KANOONGO) दिनांक/समय/स्थान: 31-01-2026 01:59:00 बरतनगर : सरोजनी नगर यह दस्तावेज खतीनी इलेक्ट्रॉनिक दिवाली सिस्टम द्वारा पैराम की गयी है तथा डाटा दिवाली सिस्टम द्वारा हस्ताक्षरित है	सुविधा कर्ता : AJAY SHUKLA बरतनगर : सरोजनी नगर सुविधा दिनांक एवं समय: 31-01-2026 01:59:00 Not Applicable For Online Prints जहाँ जहाँ उपलब्ध नहीं है वेबसाइट पर https://upbhuilekh.gov.in QR Code स्कैन करके किया जा सकता है।

